"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2011—आश्विन 15, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-2/2010/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 14 के उप-नियम (2) के खण्ड (एक), (दो) तथा (तीन) में, शब्द तथा अंक "रु. 1500.00", "रु. 700.00" तथा "रु. 250.00" के स्थान पर शब्द तथा अंक क्रमशः "रु. 12000", "रु. 5000" तथा "रु. 2000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

2. नियम 14 के उप-नियम (3) के खण्ड (एक), (दो) तथा (तीन) में, शब्द तथा अंक "रु. 500.00", "रु. 200.00" तथा "रु. 100.00" के स्थान पर, शब्द तथा अंक क्रमशः "रु. 4000", "रु. 1500" तथा "रु. 1000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

3. नियम 14 के उप-नियम (4) के खण्ड (एक) तथा (दो) में, शब्द तथा अंक "रु. 200.00" तथा "रु. 50.00" के स्थान पर, शब्द तथा अंक क्रमशः "रु. 1500" तथा "रु. 500" प्रतिस्थापित किए जाएं.

4. नियम 14 के उप-नियम (5) में, शब्द तथा अंक "रु. 2000" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रु. 5000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

5. नियम 17 के उप-नियम (5) में, शब्द तथा अंक "रु. 2000.00" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रु. 5000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

6. नियम 19 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) की टीप-दो में शब्द तथा अंक "रु. 2000" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रु. 5000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

7. नियम 19 के उप-नियम (2-क) के खण्ड (2) में, शब्द तथा अंक "रु. 5000" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रु. 40000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

8. नियम 19 के उप-नियम (2-क) के खण्ड (3) में, शब्द तथा अंक "रु. 10000" तथा "रु. 5000" के स्थान पर शब्द तथा अंक क्रमश: "रु. 25000" तथा "रु. 12000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

9. नियम 19 के उप-नियम (5) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) के स्पष्टीकरण में, शब्द तथा अंक "रु. 1000.00" के स्थान पर शब्द तथा अंक क्रमश: "रु. 10000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 2-2/2010/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-2/2010/1/3, दिनांक 7-10-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 7th October 2011

NOTIFICATIONS

No. F 2-2/2010/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (i), (ii) and (iii) of sub-rule (2) of rule 14, for the words and figures "Rs. 1500.00", "Rs. 700.00" and "Rs. 250.00", the words and figures "Rs. 12000", "Rs. 5000" and "Rs. 2000.00" shall be substituted respectively.

2. In clause (i), (ii) and (iii) of sub-rule (3) of Rule 14, for the words and figures "Rs. 500.00", "Rs. 200.00" and "Rs. 100.00", the words and figures "Rs. 4000", "Rs. 1500" and "Rs. 1000" shall be substituted respectively.

3. In clause (i) and (ii) of sub-rule (4) of Rule 14, for the words and figures "Rs. 200.00" and "Rs. 50.00", the words and figures "Rs. 1500" and "Rs. 500" shall be substituted respectively.

4. In sub-rule (5) of Rule 14, for the word and figure "Rs. 2000", the word and figure "Rs. 5000" shall be substituted.

5. In sub-rule (5) of Rule 17, for the word and figure "Rs. 2000.00", the word and figure "Rs. 5000" shall be substituted.

6. In Note-II of clause (d) of sub-rule (1) of Rule 19, for the word and figure "Rs. 2000", the word and figure "Rs. 5000" shall be substituted.

7. In clause (2) of sub-rule (2-A) of Rule 19, for the word and figure "Rs. 5000.00", the word and figure "Rs. 40000" shall be substituted.

8. In clause (3) of sub-rule (2-A) of Rule 19, for the word and figure "Rs. 10000" and "Rs. 5000", the word and figure "Rs. 25000" and "Rs. 12000" shall be substituted respectively.

9. In Explanation of sub-clause (a) of clause (1) of sub-rule (5) of Rule 19, for the word and figure "Rs. 1000.00", the word and figure "Rs. 10000" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.